प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 17.02.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी-

1- थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा 01 वारंटी को किया गया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17-02-2024 को उ0नि0 श्री देव सिंह थाना ठाकुरद्वारा द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से 01 वारंटी अभियुक्त शंकर सिंह पुत्र नौबत सिंह निवासी ग्राम रतुपुरा थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद मु0न0- 1742/05 अ0स0 1007/05 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम को गिरफ्तार किया गया।

2- अवैध चाकू के साथ 01 गिरफ्तार थाना कुन्दरकीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.02.2024 को उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना कुन्दरकी द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त रिजवान पुत्र उस्मान निवासी मौ0 तकिया कस्बा व थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0 30/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये हैं, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3- थाना मैनाठेर पुलिस ने हत्या की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण कर हत्या कारित करने के 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से आलाकत्ल तमंचा किया बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.02.2024 को थाना मैनाठेर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रसूलपुर गौसर में राजवीर सिंह पुत्र लखपत सिंह को गांव के ही जगदीश सिंह पुत्र लल्लू सिंह ने गोली मार दी थी जिसकी मौके पर ही मौत हो गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-39/2024 धारा-302/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। सूचना पर उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

उक्त संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार घटना के शीघ्र अनावरण/गिरफ्तारी हेतु दिये निर्देशन के अनुपालनार्थ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बिलारी के नेतृत्व में थाना मैनाठेर पर टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान दिनांक आज दिनांक 17.02.2024 को थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित आरोपी 1.जगदीश सिंह पुत्र श्री लल्लू सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर गौसर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद 2. हेमन्त कुमार उर्फ प्रद्युमन पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर गौसर थाना मैनाठेर मुरादाबाद को ईशागढ तिराहे से करीब 60 कदम मुरादाबाद की तरफ ईसागढ की पुलिया थाना मैनाठेर से गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से एक तमंचा व एक कारतूस 315 बोर मय नाल में फंसा खोका कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामद तमंचे के आधार पर अभियुक्त जगदीश सिंह उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मेरा , मेरे गाँव के लखपत सिंह के लड़के राजवीर सिंह से मेंथा की टंकी पर लगे टैक्स व रूपये के लेनदेन को लेकर कई बार झगडा व वाद विवाद हुआ था मेरे मन में पहले से ही इस बात को लेकर खुन्दस थी। इसी गुस्से में मैने कल सुबह राजवीर को उसके घर से बुलाकर रास्ते में गोली मार दी थी। गोली लगने से वह सडक पर गिर गया। जब वह सडक पर गिर गया तो मै घवराकर अपने लडके के साथ वहाँ से भाग गया ।आज मैं अपने वकील के पास जा रहा था कि रास्ते में ही मुझे किसी ने मैनाठेर पुलिस से पकडवा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.जगदीश सिंह पुत्र श्री लल्लू सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर गौसर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद।
2.हेमन्त कुमार उर्फ प्रद्युमन पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर गौसर थाना मैनाठेर मुरादाबाद।

बरामदगीः- एक अदद तमंचा देशी 315 बोर मय नाल में फंसा खोका कारतूस।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 39/24 धारा 302/504/506 भादवि थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.सतेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद।
2.का0 विपिन कुमार थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद।
3.का0 संजय सिंह थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद।